

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 2/2023- प्रतिपूर्ति उपकर (दर)

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2023

सा.का.नि. (अ). - माल एवं सेवाकर (राज्यों को प्रतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 (2017 का 15), की धारा 8 की उपधारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/2017- प्रतिपूर्ति उपकर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 720(अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया था, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा: -

उक्त अधिसूचना में,

I. अनुसूची में, -

- (i) क्रम संख्या 1 के सामने, कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "0.32R प्रति यूनिट" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) क्रम संख्या 5 के सामने, कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "0.36R प्रति यूनिट" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iii) क्रम संख्या 6 के सामने, कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "0.36R प्रति यूनिट" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iv) क्रम संख्या 7 के सामने, कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "0.32R प्रति यूनिट" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (v) क्रम संख्या 19 के सामने, कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "0.36R प्रति यूनिट" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (vi) क्रम संख्या 20 के सामने, कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "0.12R प्रति यूनिट" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (vii) क्रम संख्या 21 के सामने, कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "0.08R प्रति यूनिट" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (viii) क्रम संख्या 22 के सामने, कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "0.69R प्रति यूनिट" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(i x) क्रम संख्या 23 के सामने, कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "0.28R प्रति यूनिट" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(x) क्रम संख्या 24 के सामने, कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "0.08R प्रति यूनिट" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xi) क्रम संख्या 24 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां डाली जाएंगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"24क.	2403 91 00	ब्रांड नाम वाला "होमोजेनाइज्ड" या "पुनर्निर्मित" तंबाकू	0.36R प्रति यूनिट";

(xi i) क्रम संख्या 25 के सामने, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "2404 11 00" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xi i i) क्रम संख्या 26 के सामने, कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "0.56R प्रति यूनिट" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xiv) क्रम संख्या 27 के सामने, कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "0.56R प्रति यूनिट" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xv) क्रम संख्या 28 के सामने, कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "0.56R प्रति यूनिट" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xvi) क्रम संख्या 29 के सामने, कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "0.36R प्रति यूनिट" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xvi i) क्रम संख्या 30 के सामने, कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "0.56R प्रति यूनिट" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xvi i i) क्रम संख्या 31 के सामने, कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "0.36R प्रति यूनिट" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xix) क्रम संख्या 32 के सामने, कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "0.36R प्रति यूनिट" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xx) क्रम संख्या 33 के सामने, कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "0.36R प्रति यूनिट" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xxi) क्रम संख्या 34 के सामने, कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "0.36R प्रति यूनिट" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xxi i) क्रम संख्या 35 के सामने, कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "0.14R प्रति यूनिट" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xxi ii) क्रम संख्या 36 के सामने, कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "0.61R प्रति यूनिट" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xxi v) क्रम संख्या 36 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां डाली जाएंगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)
“36क.	2403 99 90	तंबाकू युक्त पान मसाला 'गुटखा' के अलावा सभी सामान, जिस पर ब्रांड का नाम हो	0.43R प्रति यूनिट
36ख.	2403 99 90	तंबाकू युक्त पान मसाला 'गुटखा' के अलावा सभी सामान, जिस पर ब्रांड नाम नहीं है	0.43R प्रति यूनिट”;

(xxv) क्रम संख्या 37 के सामने, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "2404 11 00, 2404 19 00" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xxvi) क्रम संख्या 38 के सामने, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "2404 11 00, 2404 19 00" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

II. स्पष्टीकरण में, खंड (3) के बाद, निम्नलिखित खंड अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(4) इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, कॉलम (4) में दिखाई देने वाले "R" का अर्थ है "रिटेल सेल प्राइस" जैसा कि माल एवं सेवाकर (राज्यों को प्रतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 (2017 का 15) की अनुसूची में प्रदान किया गया है";

III. स्पष्टीकरण के बाद, और पैराग्राफ 2 से पहले, निम्नलिखित को अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"उदाहरण: पान मसाला पर माल और सेवा कर प्रतिपूर्ति उपकर की गणना (उपरोक्त अनुसूची में क्र.सं. 1):

प्रतिपूर्ति उपकर की दर = 0.32R प्रति यूनिट;

अगर पान मसाला की एक यूनिट (पाउच) का रिटेल सेल प्राइस = 10 रुपये;

प्रतिपूर्ति उपकर लगाए जाने वाले = $0.32R = 0.32 \times 10 = 3.2$ रुपये प्रति यूनिट (पाउच)";

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 190354/85/2021-टीआरयू]

(विक्रम विजय वानेरे)

अवर सचिव, भारत सरकार

दिनाँक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 1/2023- प्रतिपूर्ति उपकर (दर), दिनाँक 28 फ़रवरी, 2023, जिसे सा.का.नि. 153(अ), दिनाँक 28 फ़रवरी, 2023, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।